भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ
Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh
(AN ALL INDIA FEDERATION OF DEFENCE WORKERS)
(AN INDUSTRIAL UNIT OF B.M.S.)
(RECOGNISED BY MINISTRY OF DEFENCE, GOVT. OF INDIA)

CENTRAL OFFICE : 2-A, NAVIN MARKET, KANPUR-1 • PH. & FAX : (0512) 2332222
Mob. : 09415733686, 09335621629, 09235729390 • E-mail : gensecbpms@yahoo.co.in, cecbpms@yahoo.in

REF: BPMS/ CGDA/ Gratuity/ CZ 86(1/5/R) **Dated: 14.06.2020**

To,
The Controller General of Defence Accounts
O/o CGDA
Ulan Batar Road, Palam
Delhi Cantt- 110010

Subject: Payment of Gratuity to Casual Employees of RTS&D.

महोदय,

यह पत्र रिमाउन्ट प्रशिक्षण स्कूल और डिपो, हेमपुर में कार्य कर चुके कैजुअल कर्मचारियो की ग्रेच्युटी एवं अन्य सम्बन्धित भुगतान के सम्बन्ध मे आपका ध्यान आकर्षित करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

इस सम्बन्ध मे महासंघ ने प्रथम बार संलग्न पत्र सं० BPMS/RPS&D/Gratuity/ CZ 86(1/5/R) dated 26.10.2019 के माध्यम से डिपो के माननीय कमाण्डेन्ट महोदय का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया।

जिसके प्रत्युत्तर में डिपो के संलग्न पत्र सं० 103/1/R/F/RDH dated 25 Nov 2019 के माध्यम से महासंघ को यह सूचित गया कि स्थानीय लेखा कार्यालय (सेना) बरेली द्वारा मामले पर बिना कोई कार्यवाही किये उसे डिपो को वापस कर दिये गया हैं।

फिर, महासंघ ने संलग्न पत्र सं० BPMS/ DGRVS/ Gratuity/ CZ 86(1/5/R) dated 22.11.2019 के माध्यम से महानिदेशक, पशु चिकित्सा सेवाए महानिदेशालय, नई दिल्ली का ध्यान विषय वस्तु पर आकर्षित करने का प्रयास किया।

जिसके प्रत्युत्तर मे महानिदेशालय के संलग्न पत्र सं० ८०२४९/क्यू/आर वी–१ के माध्यम से महासंघ को यह सूचित किया गया कि डिपो द्वारा सिवाय एक मामले को छोड़कर (श्रीमती नन्दी देवी का मामला जिसे स्थानीय लेखा कार्यालय द्वारा वापस कर दिया गया है) सभी मामले पर आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी हैं।

पुनः डिपो के पत्र सं० 103/1/R/F/RDH dated 23 Jan 2020 के माध्यम से महासंघ को यह सूचित किया गया कि डिपो द्वारा ग्रेच्युटी के जल्द से जल्द भुगतान हेतु कार्यवाही की जा रही है। भूतपूर्व कैजुअल कर्मचारियो के कॉन्टिनजेण्ट बिल पर जैसे ही उनके हस्ताक्षर प्राप्त होते है, उसे तुरन्त ही स्थानीय लेखा कार्यालय (सेना) बरेली को भेज दिया जाता है।

डिपो द्वारा संलग्न पत्र सं0 129/12/एफ/आर डी एच दिनांक 08 मई 2020 के माध्यम से इस महासंघ से सम्बद्ध एवं डिपो मे कार्य कर रही यूनियन ‘‘रिमाउण्ट कर्मचारी संघ, हेमपुर’’ को उनके एक पत्र के जबाव यह बताया गया कि ग्रेच्युटी भुगतान सम्बन्धित कागजात डिपो द्वारा तैयार करके स्थानीय लेखा कार्यालय (सेना), बरेली को भेजा जाता है एवं जब तक लेखा कार्यालय द्वारा उसे सत्यापित नही किया जाता तब तक अग्रिम कार्यवाही नही की जा सकती।

उपरोक्त सभी पत्रो के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि डिपो के भूतपूर्व कैजुअल कर्मचारियो के ग्रेच्युटी भुगतान सम्बन्धित वैधानिक अधिकार के मामले को लेकर लेखा कार्यालय, बरेली द्वारा गम्भीरता नही दिखाई जा रही है, जबकि डिपो द्वारा इस सम्बन्ध मे पूरा प्रयास किया जा रहा है। जिसकी वजह से डिपो के कैजुअल कर्मचारी अपने वैधानिक आर्थिक अधिकार से वंचित है। आपको यह ज्ञात ही है कि ये कर्मचारी अपनी सेवाकाल के दौरान अत्यन्त कम आय पर अपनी सेवा डिपो को प्रदान करते है एवं सेवानिवृत्त के बाद इन्हे घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है।

आपसे निवेदन है कि अपने आधीनस्थ संस्थान को इस सम्बन्ध मे उचित दिशा–निर्देश जारी करें जिससे इन कर्मचारियो के ग्रेच्युटी का भुगतान जल्द से जल्द हो सकें।

Thanking you.

Sincerely Yours

M.K Singh

(MUKESH SINGH)
General Secretary/ BPMS &
Member JCM II Level Council (MoD)

Copy to:

1) The Dte Gen Remount Veterinary Services
   Quarter Master General’s Branch
   IHQ MoD (Army)
   West Block- 3, R K Puram, New Delhi- 110066
2) The Commandant
   Remount Prashikshan School & Depot
   PO- RTC Hempur- 244716
   Udham Singh Nagar (UK)

- For kind information and necessary action please.